

12.09½ hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF  
SCHEDULED CASTES AND  
SCHEDULED TRIBES

50th Report

SHRI A.C. DAS (Jaipur) : Sir, I beg to present the Fiftieth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Reservations for, and employment of, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rourkela Steel Plant.

12.10 hrs.

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS  
AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) :  
With your permission, Sir, I rise to  
announce that Government Business in  
this House during the week commencing  
30th April, 1984 will consist of :

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of :
  - (i) The Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, 1984.
  - (ii) The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill, 1984.
  - (iii) The Union Duties of Excise (Electricity) Distribution (Amendment) Bill, 1984.
  - (iv) The Estate Duty (Distribution) Amendment Bill, 1984.

(v) The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1984 as passed by Rajya Sabha.

(vi) The Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1984.

(vii) The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 1984 as passed by Rajya Sabha.

(viii) The Delhi Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 1983.

(ix) The Punjab Municipal (New Delhi Amendment) Bill, 1983.

(x) The Delhi Development (Amendment) Bill, 1983.

(xi) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 1983.

(xii) The Export (Quality Control and Inspection) Amendment Bill, 1983.

12.11 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

Sir, now that the overdraft question has been settled with the cooperation of the concerned States and the consideration shown by the Union Finance Minister, I propose that the discussion fixed under rule 193 on the statement made by the Finance Minister on the question of overdrafts be deferred.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1952 से अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा लैंड एक्ज्यूजिकेशन एक्ट 1894 के अमेंडमेंट के संबंध में सरकार अब कर रही है। संबंधित मंत्रियों ने अनेक बार लोकसभा, राज्य सभा और सलाहकार समितियों में घोषणा की। प्रधान मंत्री ने 16 फरवरी, 1981 को किसान रेली में कहा। कृषक समाज ने भी प्रस्ताव पास किया।

अनेक पत्रों में प्रधान मंत्री और संबंधित मंत्रियों के आश्वासन दिए। यहाँ तक ही नहीं लोकसभा के बुलेटिन नं० बी में 16 फरवरी 1983, 5 नवम्बर, 1983 और 23 फरवरी, 1984 में भी निकल गया है कि लैंड, एक्यूजीशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होगा और पास होगा। संसद सदस्यों ने और भूतपूर्व प्रधान मंत्री और लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखे। इस पर भी वह बिल न पेश हो रहा है और पास नहीं हो रहा है। संसद कार्य मंत्री और न्याय मंत्री भी आश्वासन देते आ रहे हैं। मेरी संसद कार्य मंत्री से प्रार्थना है कि बिल को पेश करने और पास करने को अगले सप्ताह की कार्यवाही की सूची में सम्मिलित किया जाए।

दूसरी बात—आज भारत का किसान यह अनुभव करता है कि सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। उसकी आर्थिक स्थिति दिन-पर-दिन गिर रही है। कर्जा बढ़ रहा है। कर्ज में भूमि, ट्रैक्टर, आदि, नोलास हो रहे हैं। इस देश के सम्मुख कृषि उत्पादन घटने की सम्भावना पैदा हो गई है। यह भी सम्भावना है कि किसान आगे गेहूँ कम बोये। उससे देश में गेहूँ की कमी हो जाएगी। बाहर से गेहूँ मंगाना पड़ेगा। देश की गरीबी और बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ कि सरकार उतना ध्यान नहीं देगी जितना देना चाहिए। किन्तु सरकार और कुछ नहीं कर सकती तो तुरन्त गेहूँ का मूल्य गेहूँ के उत्पादन की लागत के बराबर 222 रुपए प्रति क्विंटल करने की कृपा करे और इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जावे।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : महोदय, मैं आप को आज्ञा से संसदीय कार्य-मंत्रा जी से आग्रह करता हूँ कि दिनांक 30-4-1984 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित

महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

1. नहरों से उत्पन्न जल रसाव की समस्या अब राष्ट्रीय समस्या बन गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जल रसाव रोकने और कृषि भूमि को सीपेज के जल भराव से बचाने की जरूरत है। सरकार की इस दिशा में मंदगति कहीं भी किसी प्रदेश में अभी तक सीपेज से प्रभावित जमीन को बचाने में असफल रही है। इसको बचाने के लिए सरकार किसी कारगर निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाई है। सदन का मत है कि इस पर चर्चा हो और सदन नहरों से जल रसाव रोकने और भूमि को बचाने के सम्बन्ध में कोई मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाए।

2. एक लम्बी अवधि से यह देखा जाता रहा है कि मतदान सूचियों में अक्सर मतदान की योग्यता रखने-वाले लोगों के नाम छूट जाते हैं। परिणामस्वरूप मतदान करने के अधिकारी होने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाता है तथा मौलिक अधिकार से वंचित रहता है। यह अधिकार दोषपूर्ण मतदाता सूचियों के बनने के कारण छिन जाता है। दोषपूर्ण मतदाता सूचियों के बनने का सिलसिला निरन्तर जारी है। कहा जाता है कि सूचियाँ बनाने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी घर-घर जाते हैं। फिर नाम कैसे छूट जाते हैं? सदन इस पर विचार करे और ऐसी नीति निर्धारित की जाय जिससे कोई भी व्यक्ति जो आयु तथा योग्यता के आधार पर मतदान करने का पात्र

मतदाता सूची में उसका नाम निश्चित  
का में सम्मिलित हो।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : आने वाले  
सप्ताह की कार्यवाही में जोड़ा जाय—

1. नारी समाज में सब से ज्यादा शोषित  
और पीड़ित है। यहाँ तक कि सिर्फ  
इज्जत के सहारे जिन्दा रहती है।  
वह भी आज महफूज नहीं है। सिर्फ  
बिहार ही नहीं समूचे भारत में नारी  
जाति के साथ जो बलात्कार और  
बलात्कार ही नहीं सामूहिक बलात्कार  
किया जा रहा है, उसकी रोकथाम  
अवश्य जरूरी है। अगर नारी का  
स्त्रीत्व नहीं रहा तो उसके पास और  
क्या है?
2. भारत के किसानों को आधुनिक बनाने के  
लिए कीटनाशक दवाई, बीज और खाद  
उचित कीमत और जरूरत के मुताबिक  
मिले, ऐसा सरकार का कर्तव्य है।  
परन्तु आज खाद मिलावटी और अति  
मंहगी तथा बीज मिलावटी मिलते हैं  
और कभी मिलते ही नहीं। कीटनाशक  
दवाई अति नुकसान देने वाली और  
मंहगी है और मिलती भी नहीं। इन  
विषयों पर सदन में चर्चा हो और इसका  
उपाय किया जाय।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR  
(Ratnagiri) : Sir, on Monday, the 23rd  
April, 1934, the Central Reserve Police  
opened fire in a busy locality at  
Udhamsingh market in Ferozepur at about  
5.30 p.m. in which police claims that six  
persons lost their lives. However, according  
to the version of the eye-witnesses,  
seventeen persons were killed. Two of them  
were brothers who were shot from the  
back when they were riding on a bicycle.  
It is reported that some dead bodies were  
thrown in the canal. One of the bodies  
was found in the canal at Vazirpur which

was handed over to police by villagers on  
Tuesday afternoon for post mortem.

It is reported that the firing was  
unprovoked and indiscriminate. After  
firing started, the people rushed for shelter  
in the nearby shops. Four persons rushed  
in Shop No. 23 for shelter and the shutters  
were pulled down. Immediately thereafter  
the CRP men went there, forcibly  
opened the shutter and opened  
fire in which an old person was killed and  
the other three seriously injured by bullets.  
The inspection of the shop confirms the  
version given by these three injured. There  
are signs of persons having been dragged  
out in injured condition and there was  
dried blood everywhere. The driver and  
conductor of the bus are reported to be  
missing. It is reported that when the firing  
was going on, slogans of 'CRP  
Zindabad' were being raised. There is a  
great tension, and explosive situation has  
arisen in this area.

I, therefore, request that this subject  
may be discussed next week and I appeal  
to the Home Minister to visit this area  
and institute a judicial inquiry to restore  
normalcy.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं  
अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित  
करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देता हूँ :

1. भीलवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है।  
वहाँ के उद्योगों में कार्यरत हजारों  
श्रमिक ई० एस० आई० स्कीम में  
इंस्योर्ड हैं और प्रत्येक श्रमिक के वेतन  
से हर माह 20 रुपए चंदा कटता है  
और श्रमिक की कटने वाली राशि से  
डेढ़ गुना राशि नियोजक जमा कराता  
है लेकिन ई० एस० आई० स्कीम के  
तहक इंस्योर्ड श्रमिकों को वर्तमान में  
भारी असुविधा का सामना करना पड़  
रहा है। यहाँ तक कि मैडिसन के नाम  
पर मजदूरों को डिस्पेन्सरियों से  
सिरदर्द की गोलियाँ व ड्रैसिंग के लिए  
पट्टियाँ भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं।

डिस्पेन्सरियों में मैडिसन के अभाव के कारण श्रमिकों को मैडिसन बाजार से खरीदने को कहा जाता है। प्रथम तो श्रमिक के अल्प आय से मैडिसन के लिए पैसों की बचत नहीं कर पाता है और जैसे जैसे मैडिसन खरीदता है तो उसके मैडिसन बिलों का मुग्तान होने की उम्मीद नहीं रहती है। अभी भी एक दो साल से मजदूरों के मैडिसन के बिलों की रीमेंट नहीं हो रही है।

2. सोप स्टोन व माईका माईन्स के श्रमिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के सदस्य हैं और हर माह श्रमिकों के वेतन से प्रोविडेंट फंड का अंशदान नियोजकों द्वारा काट लिया जाता है लेकिन श्रमिकों को प्रोविडेंट कार्यालय से वार्षिक रसीदें उपलब्ध नहीं हो रही हैं तथा इन श्रमिकों को गत तीन, चार साल से रसीदें नहीं मिली हैं, जिससे श्रमिकों में असंतोष फैलना तो स्वाभाविक है ही, दूसरी तरफ श्रमिकों को यह भी मालूम नहीं होता है कि उसकी प्रोविडेंट फंड में कितनी राशि जमा है तथा कई स्थानों पर मजदूर द्वारा कटवाया हुआ प्रोविडेंट फंड भी नियोजक जमा न करा अपने इस्तेमाल में ले लेता है। अतः इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जाए।

**SHRI CHITTA BASU (Basirhat) :** Sir, with your kind permission, I would request the Minister of Parliamentary Affairs to include the following two items in the list of business for the next week :—

- (1) The number of child labour in our country is steadily increasing.

Despite the provisions of restrictive labour laws, the practice of employing

child labour in various industries continues unabated. This is because, exploitation of child is a financial advantage to the employers and an economic compulsion to parents. The incidence of child labour is predominantly large with the families belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other economically weaker sections of the society.

The House and the nation cannot ignore this phenomenon. There is need to make a comprehensive law to provide for minimum age for entry into employment for children and other aspects on the conditions of life and work for them. Together with this, what is immediately needed is greater awareness of this problem and more effective measures for improvement in the working conditions of the children as well as facilities of education, extra nutrition and health care.

I would urge upon the Government to give careful consideration to this problem and come out with a set of policy and programme in this direction. A statement is urgently called for.

- (2) Five million brick kiln workers all over the country are to-day denied the right to live with dignity and with minimal amenities for human existence. Their plights beggar description.

Instances of the violations of the five labour law namely (a) Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, (b) The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979, (c) The Factories Act, (d) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and (e) Employees, Provident Fund (Miscellaneous Provisions) Act, which are meant to protect their interests are innumerable, thus adding to the plights of them.

Moves are afoot to exempt the units of the brick kiln industry from the rigours and the restrictions of the above five labour laws. A total exemption of the units from these Acts would mean unbridled/exploitation of the workers. The employers would dispense with whatever little benefits the workers are entitled to under these laws.

It is to be noted in this connection that the Supreme Court issued last year a directive to the effect that labour laws be enforced strictly at the kilns.

The Government, therefore, is urged upon to declare that it has no intention to exempt the brick kiln industry from the operation of the above mentioned labour laws and on the contrary take all possible steps to strictly enforce the provisions of the laws. This is necessary to clear the mist of doubt among the kiln workers. A statement is urgently called for.

**SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam) :**  
I want to make the following submission on the Parliamentary Affairs Minister's statement.

An unprecedented crisis has arisen out of massive exodus of senior medical teachers and staff from Maulana Azad Medical College and associated hospitals. As a result of administrative difficulties due to dual control by the Centre and the Delhi Administration, indiscriminate transfers, poor working conditions and facilities, enormous delay in taking decisions, non-creation of posts at various levels, lack of equipments etc. 21 senior teachers have left these institutions out of frustration within two years and four months which reveals the most tragic conditions of these once famous institutions. The standard has fallen sharply causing great concern to the professionals and the public. It requires urgent action. These institutions must be registered under the Societies Act, like the National Institute of Medical Health and Neuro Sciences, Bangalore and provided with good working conditions, equipments and facilities so that the utility, effectiveness and morale can be restored.

**PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) :**  
I suggest the inclusion of the following item in the next week's business.

Politics of defection has been rejected by the people of India as in the past, it polluted the political atmosphere and posed a threat to parliamentary democracy in India. As of now, the mood of the people

in India is that they condemn defections and want that whenever somebody wants to leave a party, he or she must resign from Parliament or State Legislature and seek people's mandate afresh. I want a discussion on this problem next week so that people are assured that the Parliament is as much concerned about the obnoxious political defections as the people themselves.

**श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) :**  
आगामी सप्ताह की कार्य सूची में मैं निम्नलिखित दो विषय शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ :

1. देश में मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित पीने के पानी का गहन संकट व्याप्त है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और इन्दौर संभाग में पीने के पानी की अभाव की स्थिति बनी हुई है। अनेक स्थानों पर, पेय जल के अभाव में दूषित पानी पीने के लिए लोग बाध्य हैं। उज्जैन संभाग के उज्जैन, रतलाम, मन्दासौर, शाजापुर और देवास जिलों के नगरों और गावों में पीने के पानी के संकट को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। अतएव, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को पेय जल संकटग्रस्त राज्य घोषित कर पेयजल के व्यापक प्रबन्ध हेतु केन्द्र सरकार व्यापक प्रबन्ध करे।
2. मध्य प्रदेश रेल सुविधा विस्तार की दृष्टि से उपेक्षित है। विगत समय से कई रेल सुविधाओं की मांग की जा रही है। किन्तु रेल मंत्रालय का ध्यान उस ओर नहीं है। अतएव, मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इन्दौर-उज्जैन के बीच तेज रफ्तार की रेल सेवा तथा इन्दौर-बम्बई के

बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी की शीघ्र स्वीकृति दी जावे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह में निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूँ :

1. 17.4.84 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिलान्तर्गत हाथरस में डा० अम्बेडकर जयन्ती की सोभा यात्रा पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पैंतीस अम्बेडकरवादियों को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

2. 18.4.84 को अधिकारियों के सामने आगरा-अलीगढ़ रोड़ पर नवग्रह में स्थित डा० अम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। जब लोगों को मालूम हुआ और वहाँ जाने की कोशिश की तो बुरी तरह इन लोगों को घायल कर दिया। याने में उनकी रिपोर्ट को दर्ज भी नहीं किया गया। इसी तरह पिछली 9-10 अप्रैल को मध्यरात्रि में पुलिस ने दिल्ली के लोनी रोड़ स्थित बुद्ध बिहार को तोड़ डाला। बुद्ध मुर्ति को तोड़ दिया। पंचशील झंडा फाड़ दिया। रात्रि में चार बौद्ध भिक्षुओं, भिक्षुक धर्मज्योति, भिक्षुक धम्म चिरी, भिक्षुक संघदीप एवं भिक्षुक विमल कीर्ति को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें अपमानित किया गया। उपरोक्त दोनों घटनाओं से लोगों को काफी रोष है। अतः आगामी सप्ताह में इस पर बहस करायी जाय।

3. देश में चांदी की तस्करी जोरों से चल रही है। अकेले कानपुर से प्रतिमाह करोड़ों रुपए की चांदी तस्करी के रूप

में दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, जोधपुर के माध्यम से दुबई एवं पाकिस्तान सहित अन्य देशों में जाती है, इसमें अधिकारी एवं व्यापारी दोनों की सांठगांठ रहती है। इस सांठगांठ में रेल, कस्टम, बिक्री कर एवं अन्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। अतः सरकार से मांग है कि तस्करी को रोकने हेतु कारगर कदम उठावे।

(उपबचान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have listened with great attention to the points mentioned by hon. Members. As you know all these points will be taken up before the Business Advisory Committee and they will try to see whether they can accommodate some of the subjects mentioned by hon. Members, provided the Business Advisory Committee can find some time.

श्री दिगम्बर सिंह : मैं, मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे लैण्ड एक्वीजिशन अमेन्डमेंट बिल पर विचार कर रहे हैं या नहीं ?

AN HON. MEMBER : I hope you will yourself recommend the time.

MR. DEPUTY SPEAKER : All these will be taken up by the Business Advisory Committee and they will consider.

12.28 hrs.

### LIFE INSURANCE CORPORATION BILL

Appointment of a Member to Joint  
Committee

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) :  
Sir, I beg to move :

"That this House do appoint Shri